उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-205/2017/1998/92-2-17-45जॉच/2015,
लखनऊ:: दिनांक:: 04 दिसम्बर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड-महोबा द्वारा वर्ष 2007-08 में सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत चरही के निर्माण कार्य में की गयी अनियमितताओं के लिए प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1254/62-3-2008-42आरई/08, दिनांक 21.04.2008 द्वारा श्री सी0बी0 प्रशान्त, प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-महोबा के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत आरोप पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-झांसी को जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- कालांतर में श्री सी0बी0 प्रशान्त द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हेतु दिनांक 31.08.2016 द्वारा प्रार्थना पत्र शासन में उपलब्ध कराया गया। शासन स्तर पर श्री प्रशान्त के प्रार्थना पत्र पर सम्यक विचारोपरान्त उनके स्वैच्छिक सेवानिवृत्त की स्वीकृति शासन के पत्र दिनांक 30.12.2016 द्वारा प्रदान की गयी। तदक्रम में अपचारी अधिकारी, श्री सी0बी0 प्रशान्त के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम'-7 के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 21.04.2008 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-136/2017/ 1367/92-2-17-45जांच/2015, दिनांक 04.08.2017 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित की गयी।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, जांच आख्या मे प्रमाणित पाये गये आरोपों के परीक्षणोपरान्त यह स्थिति प्रकट हुयी कि अपचारी अधिकारी श्री सी0बी0 प्रशान्त शासकीय क्षति रू0 5700.00 के लिए दोषी हैं, जिसके क्रम में शासन के पत्र दिनांक 04.08.2017 द्वारा श्री प्रशान्त से अभ्यावेदन/अभिकथन मांगा गया । इसी मध्य अपचारी अधिकारी, श्री सी0बी0 प्रशान्त के देहान्त हो जाने के दृष्टिगत वित्त सामान्य अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-सा0-3-1713/दस-87-933/98, दिनांक 28-07-1989 में दी गयी व्यवस्था **"मृत्यु होने की दशा में संबंधित सरकारी सेवक अपना पक्ष प्रस्तुत नही कर सकता है और चूंकि एकतरफा कार्यवाही विधिक दृष्टि से न्यायोचित नही कही जा सकती। अतः मृत्यु के दिनांक को ऐसे विभागीय/न्यायिक कार्यवाही समाप्त हुए समझी जायेगी।"** के क्रम में श्री सी0बी0 प्रशान्त, प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-महोबा के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21.04.2008 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही जिसे शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.08.2017 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित की गयी को बिना किसी दण्ड के एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-205/2017/1998/(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।

2- स्व0 सी0बी0 प्रशान्त, प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-महोबा के उत्तराधिकारियों को द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।